

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

परमजीत कोर आदि बनाम देवेन्द्र सिंह आदि
 ग संख्या 16 / 2025 अन्तर्गत धारा 212 R7A

क्रमांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
13 ⁶ / ₂₅	कार सच का कार्य स्यागत है श्री मान PO साहू अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 26/6/25 को पेश हो <u>Kamv</u>	
26 ⁰⁶ / ₂₅	कार सच का कार्य स्यागत है श्री मान PO साहू अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 28/7/25 को पेश हो <u>Kamv</u>	
28 ⁷ / ₂₅	अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशिका अनुसार दिनांक 26/8/25 को पेश हो। <u>JKP</u>	
26 ⁸ / ₂₅	अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशिका अनुसार दिनांक 6/10/25 को पेश हो। <u>JKP</u>	
8 ¹⁰ / ₂₅	प्राचीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्राचीगण की तलवी प्राप्त नहीं। T.I की अवधि आगामी पेशी तक बहाल जाती है। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 14/10/25 को पेश हो। <u>JKP</u>	
14 ¹⁰ / ₂₅	प्राचीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची की तलवी हेतु सम्मन तलवाना पेश नहीं। पूर्व में कर अवसर मिल गए। इसके बावजूद भी तलवी नहीं करवाई गई। निहाय प्राचीगण का प्राप्ति पत्र अन्तर्गत धारा 212 R7A अधिनियम में खारिज किया जाकर सरकार में जारी अस्थायी विधेयता दिनांक 16/04/25 की निरस्त की जाती है। पत्रावली विणीत होकर शुक्रवार से कम गायब 9 फरवरी को। <u>JKP</u>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)